	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज **न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–04, अजमेर** **श्रवणी देवी वगैरह बनाम लक्ष्मी देवी वगैरह** **दीवानी दावा संख्या – 6988/2015, सीआईएस – 6988/2015**	
21.01.2026	वादिया व प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा आदेश 11 नियम 12 सपठित आदेश 16 नियम 6 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। नकल दिलाई गई, जिसपर बहस हेतु अवसर चाहा एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 2 सीपीसी दिनांकित 14.11.2025 व आदेश 22 नियम 3(2) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 19.11.2025 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3(2) सपठित धारा 151 सीपीसी के संबंध में यह तर्क दिया गया कि वादिया श्रीमती श्रवणी का देहान्त दिनांक 17.10.2024 को हो गया था और उसकी मृत्यु होने के पश्चात् 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी वादी के द्वारा उक्त तथ्य से न्यायालय को सूचित नहीं किया गया, इसलिये वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद उपशमित किये जाने योग्य है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को उपशमित किया जाये एवं यह भी ज़ाहिर किया कि वादी के द्वारा आदेश 22 नियम 2 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के पश्चात् पेश किया गया है, जबकि वादी को पूर्व से ही श्रवणी देवी की मृत्यु की जानकारी थी। उसके पश्चात् भी न्यायालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। अतः ऐसी स्थिति में, वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को उपशमित किया जाये और प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 2 सीपीसी खारिज किया जाये। इसके विपरीत अधिवक्ता वादीगण के द्वारा यह तर्क दिया गया कि वाद के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 17.10.2024 को वादी संख्या 1 श्रीमती श्रवणी देवी की मृत्यु हो चुकी है और उसके प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान वाद में पक्षकार हैं। अन्य कोई भी वारिस नहीं है, इसलिये श्रवणी देवी के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश दिये जाये। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी संख्या 1 श्रवणी देवी का देहान्त दिनांक 17.10. 2024 का होना स्वीकृत स्थिति है एवं श्रवणी देवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 प्रकरण में पक्षकार हैं, इसलिये वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद उपशमित किये जाने योग्य नहीं है एवं श्रवणी देवी की मृत्यु होने के कारण उसके आगे मृतक शब्द अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी के द्वारा जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है कि श्रवणी देवी की मृत्यु होने के पश्चात् 90 दिवस की अवधि में उसके वारिसान के द्वारा जानकारी पेश नहीं करने के कारण एवं श्रवणी देवी की मृत्यु की सूचना न्यायालय में नहीं देने के कारण वाद उपशमित किये जाये, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है व स्वर्गीय श्रवणी देवी के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के	

Authenticated Document

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज **न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–04, अजमेर** **श्रवणी देवी वगैरह बनाम लक्ष्मी देवी वगैरह** **दीवानी दावा संख्या – 6988/2015, सीआईएस – 6988/2015**	
	आदेश दिये जाते हैं, जो लाल स्याही से अंकित किया जाये। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 11 नियम 12 सीपीसी दिनांक **31.01.2026** को पेश हो। JAMSHEED AHMED Digitally signed by JAMSHEED AHMED Date: 2026.01.30 12:43:19 +0530	

Authenticated Document